"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227] रायपुर, गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2009—श्रावण 15, शक 1931

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-27/खाद्य/2008/29.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि अनुसूचित वस्तुओं के उचित मूल्य पर साम्यपूर्ण वितरण तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है,

अतएव भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना जो का.आ. 1373 (अ) दिनांक 29.08.2006, का.आ. 906 (अ) दिनांक 02.04.2009, का.आ. 823 (अ) दिनांक 07.04.2008 तथा का.आ. 905 (अ) दिनांक 02.04.2009 के अधीन प्रकाशित की गई है के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से, राज्य सरकार, एतदद्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**— (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 है ।

   (दो) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है ।

   (तीन) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्देशित शेष प्रभावशील होंगे ।

2. **परिभाषाएं** – इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) **"कमीशन अभिकर्ता"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कमीशन पर विक्रय के लिए क्रय, विक्रय तथा संग्रहण का कारबार करता हो ।

(ख) **"प्रसंस्करणकर्त्ता"** से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित वस्तुओं की मिलिंग या प्रसंस्करण का कारबार करता हो ।

(ग) **"व्यापारी"** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, भागीदारी फर्म, संस्था या कोई ऐसा पंजीकृत निकाय जो किसी या समस्त अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु स्टॉक (इसमें उसके द्वारा वैयक्तिक खेती द्वारा उत्पादित वस्तुओं का स्टॉक सम्मिलित नहीं है) का व्यापार करता हो या करने का आशय रखता हो, जिसमें कमीशन अभिकर्ता का व्यापार और प्रसंस्करणकर्ता भी सम्मिलित है –

(एक) खाद्य तेल की दशा में, जिसमें उदजनित वनस्पति तेल शामिल है, एक समय में 200 क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे ।

(दो) खाद्य तेल के बीज की दशा में, एक समय में 500 क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे ।

(तीन) खाद्य तेल और खाद्य तेल के बीज को छोड़कर अन्य अनुसूचित वस्तुओं की दशा में –

(क) केवल एक अनुसूचित वस्तु के किसी भी एक समय में 1000 (एक हजार) क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे ।

(ख) दो या अधिक अनुसूचित वस्तुओं के किसी भी एक समय में 2000 (दो हजार) क्विंटल से अधिक मात्रा का स्टॉक रखे ।

(घ) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है, इस आदेश से संलग्न प्ररूप।

(ड) **"अनुज्ञप्ति"** से अभिप्रेत है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस आदेश के अधीन दी गयी अनुज्ञप्ति ।

(च) **"अनुज्ञप्तिधारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा एक व्यापारी जिसके पास इस आदेश के अधीन कोई विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो ।

(छ) **"अनुज्ञापन प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, जिले का कलेक्टर जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता हो, जिसमें व्यापारी अपना कारोबार करता हो ।

(ज) **"मंडी"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में विनिर्दिष्ट मंडी ।

(झ) **"अनुसूचित वस्तुऐं"** से अभिप्रेत है इस आदेश की अनुसूची – एक में विनिर्दिष्ट वस्तुएं ।

(ञ) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ।

3. **अनुसूचित वस्तुओं के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति**– (एक) कोई भी व्यापारी इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना व्यापारी के रूप में कारोबार नहीं करेगा ।

(दो) प्रत्येक व्यापारी द्वारा कारोबार के प्रत्येक स्थान के लिए यथास्थिति पृथक–पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त की जाएगी ।

(तीन) कोई भी व्यक्ति कारोबार के स्थान के लिए एक से अधिक अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा ।

4. **अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना तथा नवीनीकरण किया जाना– (1) अनुज्ञप्ति की स्वीकृति** – प्रत्येक आवेदक को प्ररूप "क" में एक आवेदन सम्यक् रूप से भरकर एवं सभी प्रकार से पूर्ण कर अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर प्ररूप "ख" में अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी ।

परन्तु ऐसे मामले में जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का मत है कि आवेदक अनुज्ञप्ति प्राप्ति के लिए पात्र नहीं है, तो वह आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर लिखित में एक सकारण आदेश पारित करेगा तथा आवेदन प्राप्ति के 40 दिवस के भीतर आवेदक को संसूचित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के, 40 दिवस के भीतर आवेदक को

नामंजूर किए जाने की संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो–

(क) यदि आवेदक अनुज्ञापन प्राधिकारी को उपरोक्त अभिकथित समय–सीमा की समाप्ति की अभिस्वीकृति प्राप्त करते हुए लिखित में स्मरण कराता है यदि आवेदन मंजूर किए जाने की कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो अनुज्ञप्ति मंजूर की गई समझी जाएगी :

(ख) आवेदक इस बात की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी की हैसियत से अपना कारोबार आरंभ कर सकेगा ।

(ग) उपरोक्त धारा के अधीन अनुज्ञप्तिधारी प्ररूप "ख" में अधिकथित समस्त निर्बन्धनों तथा शर्तों के लिए बाध्य होगा ।

(2) **अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण** – (क) अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति समाप्ति से पूर्व किसी भी समय अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा, किन्तु यह आवेदन अनुज्ञप्ति समाप्ति के वर्ष की 1 नवम्बर से पूर्व नहीं होगा । विलंबित आवेदन उपखण्ड (5) में विहित विलंब फीस का संदाय कर किया जा सकेगा ।

(ख) सामान्यतः आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति नवीनीकृत कर दी जाएगी । यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने से इंकार करने हेतु पर्याप्त कारण है तो वह नवीनीकरण के आवेदन की प्राप्ति के 20 दिवस के भीतर लिखित में सकारण आदेश पारित करेगा तथा आवेदन करने के 30 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में संसूचित करेगा, ऐसा न करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति नवीनीकृत समझी जाएगी ।

(ग) यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु अनुरोध करता है तो उसे ऐसा अनुरोध करने की तारीख से नवीनीकरण हेतु दिए गए आवेदन पर नवीनीकरण करने या नवीनीकरण के आवेदन के नामंजूर किए जाने तक अपना व्यवसाय करने का अधिकार होगा मानो कि उसके पास विधिमान्य अनुज्ञप्ति है ।

(3) अनुज्ञप्ति, प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी ।

(4) अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति फीस का संदाय करने पर जारी की जाएगी ।

(5) अनुज्ञप्ति फीस (जिसमें नवीनीकरण फीस, द्वितीय प्रति एवं विलंब फीस आदि सम्मिलित है) तथा प्रतिभूति निक्षेप, राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर विहित की जाएगी ।

अधिकतम स्टॉक सीमा – कोई भी व्यापारी किसी भीसमय निम्नलिखित से अधिक स्टॉक नहीं रखेगा:–

(क) अनुसूचित वस्तुओं के मामलें में ऐसी अधिकतम स्टॉक सीमा जो इस आदेश की अनुसूची–दो में निर्धारित की गई है ।

(ख) राज्य द्वारा अनुसूची–दो में निर्धारित अधिक स्टॉक सीमा को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रसंस्करणकर्ता के साथ–साथ अनुसूचित वस्तु/वस्तुओं का अन्य कारोबार भी किया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्रसंस्करण कारोबार हेतु उपधारा (क) के अधीन अधिकथित स्टॉक सीमा की पृथक–पृथक अनुमति देगा ।

6. **अनुज्ञप्ति की कालावधि और फीस**– (एक) इस आदेश के अधीन मंजूर की गयी या नवीनीकृत कोई अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, उनके दिए जाने या नवीनीकृत किए जाने के प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए विधिमान्य होगी ।

(दो) कोई अनुज्ञप्तिधारी जो अपनी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना चाहता है, वह अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से एक मास पूर्व 30 नवम्बर तक आवेदन करेगा।

(तीन) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए उपरोक्त खंड (दो) में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा :

परंतु यदि ऐसा आवेदन पत्र वर्ष के 31 दिसम्बर के पूर्व किया जाता है और अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक पर्याप्त कारण से अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सका है तो वह 1000 रूपये के विलंब फीस का भुगतान करने पर आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकेगा और अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कर सकेगा ।

(चार) प्ररूप "क" में आवेदन पत्र के साथ नीचे विनिर्दिष्ट फीस देय होगी –

अनुज्ञप्ति फीस	नवीनीकरण फीस	अमानत राशि
रू. 2500	रू. 1250	रू. 5000

(पांच) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति, खो जाने, नष्ट हो जाने या विरूपित हो जाने का प्रमाण स्पष्टीकारक शपथ पत्र के सहित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पत्र रूपये 1000 के भुगतान के साथ प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जा सकेगी ।

7. **अनुज्ञप्ति अस्वीकृत करने की शक्ति** – अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति का अपना मामला पेश करने का अवसर देने के पश्चात और अभिलिखित कारणों से, अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीनीकरण करना अस्वीकृत कर सकेगा ।

8. **अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन** – (एक) कोई अनुज्ञप्तिधारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, इस आदेश के किन्हीं उपबंधो या अनुज्ञप्ति के किसी भी निर्बंधनो या शर्तो का उल्लंघन नहीं करेगा।

(दो) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी को समाधान हो जाए कि किसी अनुज्ञप्तिधारी ने या उसके अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने इस आदेश के किसी उपबंध या अनुज्ञप्ति के किसी भी निर्बन्धनों या शर्तो का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरूद्ध की जा सकती है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा या तो उसकी अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आने वाली उन अनुसूचित वस्तुओं के संबंध में, जिनके बारे में यह पाया जाए कि उपबंधो का उल्लंघन किया गया है, उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित कर सकेगा ।

परंतु इस उपखंड के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, प्रस्तावित रद्दकरण या निलंबन के विरूद्ध अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए ।

(तीन) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी उपखंड (दो) के अधीन कार्यवाही लंबित रहने या उसको ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा ।

(चार) अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए किसी अनुज्ञप्ति को रद्द करना विधिपूर्ण होगा यदि अनुसूचित वस्तुओं के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को दोषसिद्ध ठहराया गया हो ।

(पांच) उपखंड (दो) का परंतुक उस स्थिति में लागू होगा जबकि कोई अनुज्ञप्ति खंड (चार) के अधीन रद्द कर दी गयी हो ।

(छः) उपखंड (चार) के अधीन रद्द की गयी अनुज्ञप्ति वहां प्रत्यावर्तित की जायेगी जहां ऐसी दोषसिद्धि को यथास्थिति सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाये ।

9. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** –(एक) खंड 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तो का उल्लंघन किया है और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण अपेक्षित है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को समपहरण के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के

पश्चात् आदेश द्वारा, उसके द्वारा जमा की गयी संपूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग का समपहरण कर सकेगा और आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को भेजेगा :

परंतु जहां प्रतिभूति का समपहरण कर लिया गया है वहां अनुज्ञप्तिधारी समपहृत प्रतिभूति की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अपना कारोबार कर सकेगा ।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त बाध्यताओं का सम्यक् अनुपालन किए जाने पर, प्रतिभूति की रकम या उसका ऐसा भाग, जिसका समपहरण न किया गया हो, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को वापस कर दिया जाएगा ।

10. **अपील–** (एक) अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऐसे किसी आदेश से, जिसमें अनुज्ञप्ति देने, पुनः जारी करने या नवीकरण करने से इंकार किया गया हो, या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबित किया गया हो या इस आदेश के उपबंधो के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को समपहृत किया गया हो, व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश उसे प्राप्त होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर संभाग के आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त, राजस्व को अपील कर सकेगा ।

(दो) इस खंड के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को अपना मामला अभिकथन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

11. **पुनरीक्षण–** राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, संभाग आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या उसके औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि उचित समझे :

परंतु उसे किसी आदेश में तब तक परिवर्तित नहीं करेगी या उसे तब तक नहीं उलटेगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

परंतु यह और भी कि ऐसा कोई आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा, जब तक कि वह उस आदेश की, जिसके विरूद्ध आवेदन पत्र दिया जा रहा हो, आवेदक को संसूचना की तारीख से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत न कर दिया जाए।

12. **आदेश का पुनर्विलोकन–** (1) राज्य सरकार, आयुक्त या अपर आयुक्त, अनुज्ञापन प्राधिकारी या तो उनकी/उसकी स्वप्रेरणा से अथवा हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर उनके/उसके द्वारा उनके/उसके पद के पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा तथा उसके संदर्भ में कोई ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परंतु –

(क) यदि आयुक्त, अपर आयुक्त या अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो उसके द्वारा पारित न किया गया हो, पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक समझता है तो वह राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त करेगा या ऐसे प्राधिकारी की लिखित मंजूरी प्राप्त करेगा जिसका कि वह ठीक अधीनस्थ हो।

(ख) किसी भी आदेश में हेरफेर या उसे उलटा नहीं जावेगा जब तक कि संबंधित पक्षकार को उपस्थित होने तथा ऐसे आदेश के पक्ष में सुनवाई के लिए सूचना जारी न कर दी जाए ।

(ग) ऐसे किसी भी आदेश का, जिसके विरूद्ध अपील की गई है या जो पुनरीक्षण कार्यवाही की विषय–वस्तु है तब तक पुनर्विलोकन नहीं किया जावेगा जब तक ऐसी अपील या कार्यवाही लंबित है ।

(घ) ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन हेतु कोई भी आवेदन–पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जावेगा जब तक कि आदेश पारित होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर वह प्रस्तुत न कर दिया जाए ।

(2) ऐसे किसी भी आदेश का जिस पर अपील या पुनरीक्षण में कार्यवाही की गई है, पुनर्विलोकन, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के अधीनस्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

13. **प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण, आदि की शक्तियां**– (एक) अनुज्ञापन प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जैसी कि वह उचित समझे के साथ–

(क) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान के जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का या उसके अंतर्गत जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्वामी, अधिभोगी अथवा अन्य किसी भारसाधक व्यक्ति से, ऐसे उल्लंघन से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाली पुस्तके, लेखे या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(ख) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान में जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किन्ही उपबंधो या उनके अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तो का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा ।

(ग) ऐसे उल्लंघन से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाले रजिस्टर, बिल बुक या किसी दस्तावेजो का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहित करवा सकेगा और उसके आवश्यक उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियां लेने के बाद जिस व्यक्ति से वे अभिग्रहित किए गए थे, उसे वापिस कर देगा ।

(घ) अनुसूचित वस्तुओं के स्टॉक को तथा इस आदेश के उपबंधो के या उसके अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन में उक्त अनुसूचित वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशुओ, यानों, जलयानो, या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे समस्त उपाय करेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो इस प्रकार अभिग्रहण किए गए अनुसूचित वस्तुओं के स्टॉक तथा पशुओं, यानों जलयानों या अन्य वाहनों का न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार पेश किए जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हों ।

(दो) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंध जो तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित है यथासंभव इस खंड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहण को लागू होंगे ।

14. **छूट** – (1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजन हेतु भारतीय खाद्य निगम एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन तथा इस कार्य में संलग्न अन्य एजेंसियों द्वारा धारित आवश्यक वस्तु के स्टॉक हेतु इस आदेश के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या निरस्त कर सकेगी ।

15. **इस आदेश की वैधता** – यह आदेश, दाल हेतु क. एस. ओ. 1373 (ई) दिनांक 29 अगस्त, 2006, क. एस. ओ. 906 (ई) दिनांक 02 अप्रैल, 2009 तथा खाद्य तेल, खाद्य तेल बीज तथा चावल हेतु क. एस. ओ. 823 (ई) दिनांक 7 अप्रैल, 2008, क. एस. ओ. 905 (ई) दिनांक 02 अप्रैल, 2009, के अधीन जारी केन्द्रीय आदेश की वैधता के साथ संयुक्त रूप से, प्रवर्तन में रहेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, प्रमुख सचिव.

अनुसूची–एक

अनुसूचित वस्तुएं
(खंड 2 (झ) देखिए)

1. "दाल" से अभिप्रेत है उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मटर और चना, साबुत या दला हुआ या छिलका रहित ।
2. चावल
3. "खाद्य तेल" जिसमें समस्त प्रकार के खाद्य तेल सम्मिलित हैं ।
4. "तेल के बीज", ऐसे बीज जिनसे खाद्य तेल तैयार किया जाता है किन्तु इसमें नारियल का तेल सम्मिलित नहीं है ।

अनुसूची–दो

(खंड 5 (क) देखिए)

स. क्र.	अनुसूचित वस्तु	नगर की श्रेणी	व्यापारी (क्विंटल)	कमीशन अभिकर्ता (क्विंटल)	प्रसंस्करणकर्ता
1	2	3	4	5	6
1.	दाल	समस्त	1000	1000	कोई सीमा नहीं
2.	चावल	समस्त	2000	2000	कोई सीमा नहीं
3.	खात तेल के बीज (समस्त प्रकार)	समस्त	1000	1000	कोई सीमा नहीं
4.	खाद्य तेल (समस्त प्रकार)	समस्त	500	500	कोई सीमा नहीं

प्रारूप "क"

(खण्ड 4 (1) देखिए)

छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 अनुज्ञप्ति स्वीकृति/नवीनीकरण करने हेतु आवेदन

आवेदक का नाम ....

आवेदक का व्यवसाय ....

पूरा आवासीय पता ....

1. अनुसूचित वस्तुओं में दिनांक .... से ....तक की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति/नवीनीकरण करने के लिए आवेदन–पत्र :–

(1) समस्त अनुसूचित वस्तुएं ।

(2) किसी एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तु– दाल/चावल/खाद्य तेल के बीज/खाद्य तेल ।

टीप.– समस्त अनुसूचित वस्तुओं या एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तुओं के लिए केवल एक ही अनुज्ञप्ति होगी और अनुसूची–एक में परिवर्तन होने पर पृथक आवेदन लिया जाएगा ।

2. (क) आवेदक के कारोबार का स्थान विशिष्टियों सहित जैसे– परिसरों का क्रमांक, मोहल्ला, नगर या ग्राम, पुलिस थाना तथा जिला ....

(ख) उन स्थानों के सम्यक, एवं पूर्ण पते जहां अनुसूचित वस्तुओं का भण्डारण करना प्रस्तावित है ..

....

3. कारोबार की प्रकृति :–

(1) क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु भण्डारण का,

(2) कमीशन अभिकर्ता का

(3) प्रसंस्करणकर्ता का ।

4. क्या आवेदक के पास मण्डी अनुज्ञप्ति है, यदि हॉ तो अनुज्ञप्ति क्रमांक/मंडी रसीद की फोटो प्रति संलग्न की जाए ।..

5. आवेदन की तारीख को आवेदक के कब्जे में की प्रत्येक अनुसूचित वस्तु की मात्रा और वह स्थान जहां उसका भण्डारण किया गया है ....

मैं, घोषणा करता हूँ कि ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसूचित वस्तुओं की मात्रा आज के दिन मेरे कब्जे में है और उन्हें ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानों में रखा गया है ।

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निबर्न्धन) आदेश, 2009 के प्ररूप 'ख' में दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैंने ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए इस जिले में पूर्व में आवेदन नहीं किया है ।

(ख) मैंने इस ज़िले में ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए तारीख .... को आवेदन किया था, और मुझे अनुज्ञप्ति दी गई/अनुज्ञप्ति नहीं दी गई ।

(ग) मैं, एतद्द्वारा, मुझे जारी की गई अनुज्ञप्ति क्रमांक .... तारीख .... जिसकी कालावधि .... को समाप्त हो रही है के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूँ।

(नोट :— जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।)

स्थान ....
तारीख ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप "ख"

(खण्ड 4 (1) देखिए)

छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 व्यापारी को अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक ....

छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, श्री/श्रीमती/मेसर्स .... के अनुसूचित वस्तुओं के व्यवहार करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत की जाती है :–

1. समस्त अनुसूचित वस्तुएँ
2. एक या एक से अधिक अनुसूचित वस्तु– दाल/चावल/खाद्य तेल के बीज/खाद्य तेल

टीप :– समस्त अनुसूचित वस्तुओं के लिए एक ही संयुक्त विज्ञप्ति होगी और अनुसूची–एक में अनुसूचित वस्तुओं में परिवर्तन होने पर यह समझा जाएगा कि उनमें ऐसे परिवर्तन उनकी अधिसूचना की तारीख से वह स्वयंमेव परिवर्तित हो गई है ।

1.(क) अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित प्रकार के कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी :–

1. क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु भण्डारण के लिए,
2. कमीशन अभिकर्ता के लिए,
3. प्रसंस्करणकर्ता के लिए ।

(कृपया जो लागू न हो उसे काट दिया जाए) ।

2.(क) अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों के अलाघा अन्यत्र नहीं करेगा ।

कारोबार का प्रकार	कारोबार का स्थान
1. क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए भण्डारण ।	
2. कमीशन अभिकर्ता ।	
3. प्रसंस्करणकर्ता ।	

(ख) अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचित वस्तुओं का भण्डारण **निम्नलिखित** स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं करेगा :–

गोदाम/स्थान:–

मोहल्ला	घर क्रमांक सीमाएं	अपने स्वामित्व का/ किराए का	टिप्पणियां

3. अनुज्ञप्तिधारी इस निमित्त राज्य सरकार **या अनुज्ञापन** प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट दिए जाने के सिवाय पैरा–1 में उल्लेखित प्रत्येक **अनुसूचित** वस्तु के लिए दैनिक लेखों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित को सही–सही दर्शाया जावेगा :–

(क) प्रत्येक दिन का प्रारंभिक स्टॉक,

(ख) प्रत्येक दिन प्राप्त की गई मात्रा को यह दर्शाते हुए कि किस स्थान से तथा किस स्त्रोत से प्राप्त की गई,

(ग) गंतव्य स्थान को दर्शाते हुए प्रत्येक दिन परिदान की गई अन्यथा हटाई गई मात्रा,

(घ) प्रत्येक दिन का अंतिम स्टॉक,

4. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन से संबंधित अपने लेखा को उसी दिन पूरा करेगा जब तक कि युक्तियुक्त कारण से, जिसके साबित करने का भार उसी पर होगा, उसे ऐसा करने से निवारित न किया गया हो ।

5. अनुज्ञप्तिधारी दैनिक लेखे में अपनी व्यक्तिगत खेतों की उपज के स्टॉक को पृथक रूप से प्रदर्शित करेगा । यदि ऐसे उपज को उनके कारबार के परिसर में भण्डारित किया गया है ।

6. अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा विशेष छूट दिए जाने के सिवाय संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्येक माह प्ररूप "ग" में प्रत्येक अनुसूचित वस्तु के स्टॉक उसकी प्राप्तियों और परिदानों इत्यादि का सही विवरणी प्रस्तुत करेगा, ताकि वह उसके पास मास की समाप्ति के पश्चात् 7 दिन के भीतर पहुंच जाएं ।

7. अनुज्ञप्तिधारी छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन और जमाखोरों पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) या उसके अधीन बनाए गए नियमों या अनुसूचित नियमों या अनुसूचित वस्तुओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का उल्लघंन नहीं करेगा ।

8. अनुज्ञप्तिधारी (एक) ऐसा कोई संव्यवहार जिसमें मंडी में अनुसूचित वस्तुओं के सट्टे वाली रीति में और उनकी सुगमता उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली राशि में अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए भण्डारण करना अंतर्वलित हो, नहीं करेगा ।

(दो) साधारण विक्रय के लिए रखी गई अनुसूचित वस्तुओं को विक्रय से नहीं रोकेगा ।

9. अनुज्ञप्तिधारी अपने करबार के परिसर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर विक्रय के लिए अपने द्वारा रखी गई अनुसूचित वस्तुओं के मूल्य सूची प्रदर्शित करेगा, ऐसी मूल्य सूची हिन्दी में सुपाठ्य रूप से लिखी होगी, प्रत्येक दिन का विभिन्न किस्म की अनुसूचित वस्तुओं का मूल्य और प्रारंभिक स्टॉक को पृथक रूप से उपदर्शित करेगा।

10. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगा और उसके द्वारा भंडारित की गई अनुसूचित वस्तुएं समुचित दशा में रखी गई हैं, और उन्हें जमीन की सीलन, वर्षा, कीटों, कुतरने वाले जानवरों, पक्षियो, आग और ऐसे कारणों से क्षति न हो, जमीन की सीलन से क्षति को रोकने के लिए, उपयुक्त जल निकास (ड्रेनेज) का प्रयोग किया जावेगा और अनुसूचित वस्तुओं को इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित रासायन से धुंआ (फ्युमीगेटेड) दिया जाएगा । अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उर्वरकों, कीटनाशी दवाओं और विषाक्त रसायनों को जिनसे अनुसूचित वस्तुओं को संदर्भित होने की संभावना हो, अनुसूचित वस्तुओं के साथ उसी गोदाम में या उसके अत्यन्त निकट भण्डारित नहीं किया जावेगा ।

11. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक ग्राहक को एक ही रसीद या बीजक देगा, जिसमें उसका स्वयं नाम, पता और अनुज्ञप्ति क्रमांक, ग्राहक का नाम और अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो) संव्यवहार की तारीख, बेची

गई मात्रा, प्रति क्विंटल मूल्य और ली गई कुल धनराशि का उल्लेख होगा और उसकी दूसरी प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस निमित्त उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने हेतु अपने पास रखेगा । विक्रय किए गए स्टॉक को परिवहन करने वाले वाहन के साथ बिल प्रति रखी जाएगी तथा जांच के दौरान तत्काल जांच अधिकारी को वाहन चालक अथवा वाहन में उपस्थित विक्रेता/क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

12. अनुज्ञप्तिधारी कारबार से संबंधित ऐसी सही–सही सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी उससे मांगी जाए, और वह इस आदेश के उपबंधों से संगत ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाएं ।

13. अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचित वस्तुओं के भण्डारण विक्रय या क्रय या विनिर्माण के लिए अपने द्वारा प्रयुक्त किसी दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर अपने स्टॉक और लेखा का निरीक्षण करने के लिए और परीक्षण के लिए अनुसूचित वस्तुओं का नमूना लेने के लिए प्रवर्तन प्राधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या राज्य सरकार का युक्तियुक्त समय पर सभी सुविधा प्रदान करेगा ।

14. अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिए किए गए भण्डारण के बारे में तथा उस भाषा के संबंध में जिसमें रजिस्टर, विवरणियां रसीदें या बीजक लिखे जाएंगे तथा रजिस्टरों के अभिप्रमाणन तथा बनाए रखे जाने के बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करेगा ।

15. अनुज्ञप्ति ऐसी किसी दशा में, जब वह किसी विनियमित मण्डी में कार्य करता है अपने कारबार करने के संबंध में ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा जो अधिकारिता रखने वाले मण्डी प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गए हैं ।

16. अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के गोदाम या कारबार के परिसर को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।

17. जब कभी अनुज्ञप्तिधारी के फर्म के स्वामित्व, भागीदारी या गठन में कोई परिवर्तन हो, वह अनुज्ञापन प्राधिकारी को परिवर्तन के 30 दिवस के भीतर एक लिखित सूचना देगा । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए अनुज्ञप्ति में आवश्यक संशोधन करना विधिपूर्ण होगा ।

18. नवीकरण के लिए आवेदन–पत्र के साथ अनुज्ञप्ति संलग्न की जावेगी ।

19. यह अनुज्ञप्ति वर्ष .... के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य होगी ।

तारीख ....

स्थान .... अनुज्ञप्ति प्राधिकारी

प्ररूप—"ग"

(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग के लिए प्ररूप "ख" की शर्त 5 देखिए)

.... को समाप्त होने वाले मास के लिए अनुसूचित वस्तुओं के स्टाक, उसकी प्राप्तियॉ और उसके विक्रयों की विवरणी ।

नाम ....

अनुज्ञप्ति क्रमांक ....

पता ....

उस गोदाम की विशिष्टियॉ जहाँ स्टॉक रखा गया है .... अनुसूचित वस्तुओं की किस्म ।

(1) ....

(2) ....

(3) ....

1. मास के प्रारंभ में स्टॉक ....

2. मास के दौरान क्रय की गई मात्रा और प्रदाय का स्त्रोत ....

(क) जिले के भीतर से ....

(ख) यदि जिले के बाहर से हो तो नीचे जिले के नाम और प्रत्येक जिले के सामने उनकी मात्रा दीजिए —

(1) ....

(2) ....

(3) ....

(ग) यदि राज्य के बाहर से हो तो नीचे राज्य का नाम और उनके सामने मात्रा दीजिए —

(1) ....

(2) ....

(3) ....

योग ....

जिले में	जिले के बाहर किंतु राज्य के भीतर	राज्य के बाहर से	योग
बेची गई मात्रा — (क) थोक विक्रेता को बेची गई मात्रा (ख) प्रसंस्करणकर्ता को बेची गई मात्रा (ग) अन्य को बेची गई मात्रा मात्रा का योग			

4. मास के अंत में स्टॉक

योग ....

स्थान ....

तारीख ....

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्ति क. ....

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2009

पृ. क्रमांक एफ 9–27/खाद्य/2008/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 अगस्त, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 6th August, 2009

NOTIFICATION

F 9-27/food/2008/29.—Whereas, the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do for securing the equitable distribution and availability of Scheduled Commodities at fair prices,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with notification of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) published under S.O. 1373 (E) dated 29-08-2006, S.O. 906 (E) dated 02-04-2009, S.O. 823 (E) dated 07-04-2008 and S.O. 905 (E) dated 02-04-2009 with the prior concurrence of the Central Government, the State Government here by makes the following order namely:-

1. **Short title, extent and commencement.**—(i) This order may be called the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009.

(ii) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(iii) It shall come into force from the date of its publication in official Gazette and shall remain in force as directed from time to time by the Central Government.

2. **Definitions—In this order, unless the context otherwise requires—**

(a) "Commission agent" means a person who carries on the business of purchase, sale and storage for sale on behalf of any other person, on Commission.

(b) "Processor" means a person carrying on the business of milling or processing of scheduled commodities.

(c) "Dealer" means any person, partnership firm, institution or registered body, a person who is engaged or intents to engage in the business of purchase, sale or storage for sale (in which it not included the stock of the commodities produced from his personal cultivation) for any or all scheduled commodity, in which the business of commission agent and Processor is also included :-

(i) In case of edible oil including hydrogenrated vegetable oil, keeping stock of more than 200 quintals at any one time.

(ii) In case of oil seeds, keeping stock of more than 500 quintals at any one time.

(iii) In case of other scheduled commodities, except edible oil and edible oil seeds

(A) Only one scheduled commodity, keeping stock of more than 1000 quintals (one thousand) at any one time.

(B) Two or more scheduled commodities, keeping stock of more than 2000 quintals (two thousand) at any one time.

(d) "Form" means a form appended to this Order.

(e) "License" means a license granted under this Order by licensing authority.

(f) "Licensee" means a dealer holding a valid license under this Order.

(g) "Licensing authority" means the Collector of the district having jurisdiction over the area in which a dealer carries on his business.

(h) "Mandi" means a mandi specified in the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyarn, 1972 (No. 24 of 1973).

(i) "Scheduled Commodities" means commodities specified in Schedule-I of this order.

(j) "State Government" means the Government of Chhattisgarh.

3. **License for trade of scheduled commodities** — (i) No dealer shall carry on business as a dealer without obtaining a licence under this order.

(ii) A separate license shall be obtained by each dealer as the case may be for each place of business.

(iii) No person shall hold more than one licence at any one place of business.

4. **Issue of license and renewal of license— (1) Sanction of license** - Every applicant shall apply an application in Form-'A' after filling the same and complete it in all respects and submit it to licensing authority. After receipt of application, license shall be issued within 30 days in Form-B.

Provided where licensing authority deems fit in his opinion that applicant is not fit for issuing license, than he would pass an order speaking the reason within 30 days and after receipt of application it would be communicated to the applicant within 40 days.

Provided this is another matter that after 40 days of submission of application to the licensing authority, if it is not communicated the rejection to the applicant, then -

(a) If applicant reminds the licensing authority by written application regarding approval of expiry of the above mentioned time limit and did not get the communication of rejection of application than license shall be deemed as approved.

(b) After giving the information of the samc to licensing authority the applicant shall start his trade as licensee.

(c) The terms and restrictions of form "B" under above section shall be mandatory for the licensee.

(2) **Renewal of license**- (a) The licensee can apply for renewal of his license at any time before expiry of his license but not before 1st of November of the year of expiry of his license. A delayed application may be made with the payment of late fees, prescribed in Sub-clause (5).

(b) On application the license shall ordinarily be renewed. In case if the licensing authority has sufficient cause for denying renewal it shall pass a speaking order in writing within 20 days from the date of submitting application for renewal and communicate in writing within 30 days of application for renewal to the licensee failing which the license shall be deemed to be renewed.

(c) In case the licensee makes a request for renewal of license he shall have the right to carry on his business as if he possesses a valid license from the date of making such request [illegible] the renewal or rejection of renewal application.

(3) License shall be valid for a period of 1 year ending on the 31st December.

(4) A duplicate license shall be issued on payment of fees.

(5) License fees (including fees for renewal, duplicate copy, and late fees etc.) and security deposit shall be prescribed from time to time by the State Government or any authority authorised by it.

5. **Maximum Stock Limit-** Any dealer shall not stock at any one time more than following limits :-

(a) In case of scheduled commodities maximum stock limit fixed in the schedule-2 of this Order.

(b) The State Government may revise the maximum stock limit fixed in the schedule-2 by gazette notification.

(c) If licensee is carrying the business of scheduled commodity/commodities alongwith processor than licensing authority, under sub section (a) shall give separate approval of stock limit for processor.

6. **Period of licence and fees.—** (i) A licence granted or renewed under this order shall be valid for period ending on the 31st day of the December of the year of its grant or renewal as the case may be.

(ii) A licensee desiring to get his licence renewed shall apply for renewal one month before the date of expiry of the licence i.e. upto 30th November.

(iii) No application for renewal made after the date specified in clause (ii) above shall be entertained by the licensing authority.

Provided that if such application is made before the 31st day of December of the year, the licensing authority is satisfied that the applicant could not apply for renewal of the licence before the date of expiry thereof for sufficient cause, it may on payment of a late fee of Rs. 1000 entertain the application and renew the license.

(iv) The fees specified below shall be payable along with the application in Form "A"-

License Fees	Renewal Fees	Security Deposit
Rs. 2500	Rs. 1250	Rs. 5000

(v) A duplicate licence may be issued on payment of Rs. 1000 on proof of its loss, destruction and defacement on application by the licensee accompanied by an explanatory affidavit.

7. **Power to refuse the licence.—**The licensing authority may after affording the person concerned an opportunity of stating his case and for reasons to be recorded in writing refuse to grant and/or renew a licence.

8. **Contravention of condition of licence.—**(i) No licensee or his agent or servant or any other person acting on his behalf, shall contravene any provision of this order or any of the terms or conditions of the licence.

(ii) If the licensing authority is satisfied that any such licensee or his agent or servant or any other person acting on his behalf has contravened any provision of this order or the terms and conditions of the licence, it may without prejudice to any other action that may be taken against him by order in writing cancel or suspend his licence in respect of those scheduled commodities for which he is found to have contravened the provisions.

Provided that no order shall be made under this sub-clause unless the licensee has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation or suspension as the case may be.

(iii) Subject to the control of the State Government the licensing authority may during the pendency or in contemplation of proceeding under sub-clause (ii) suspend such licence.

(iv) It shall be lawful for the licensing authority to cancel a licence if the licensee has been convicted for contravention of any order made under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 relating to Scheduled Commodities.

(v) The proviso to sub-clause (ii) shall apply where a licence is cancelled under clause (iv).

(vi) The licence cancelled under sub-clause (iv) shall be restored where such conviction is set aside by any court of competent jurisdiction or as the case may be.

9. **Forfeiture of security deposit.**—(i) Without prejudice to the provision of clause 8, if the licensing authority is satisfied that the licensee has contravened any of the conditions of the licence and that a forfeiture of the security deposit is called for, it may after affording the licensee a reasonable opportunity of stating his case against the forfeiture, by order forfeit the whole or part of security deposited by him and send a copy of the order to the licensee.

Provided that where the security has been forfeited the licensee may carry on business only after depositing the amount of security forfeited.

(ii) Upon due compliance by the licensee with all obligations under the licence the amount of security or such part thereof which is not forfeited shall be returned to the licensee after the termination of the licence.

10. **Appeal** — (i) Any person aggrieved by any order of the licensing authority refusing to grant re-issue or renew a licence or cancelling or suspending licence or forfeiting the security deposited by the licensee under the provisions of this order may appeal to the Commissioner or Additional Commissioner of the Revenue Division within 30 days of the receipt by him of such order.

(ii) No order shall be made under this clause unless the aggrieved person has been given a reasonable opportunity of stating his case.

11. **Revision.**—The State Government may on its own motion at any time or on the application by an aggrieved party, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed by the Divisional Commissioner or Additional Commissioner as the case may be and may pass such order thereon as it thinks fit:

Provided that it shall not vary or reverse any order unless the person affected by the proposed order has been given an opportunity of being heard:

Provided further that no such application shall be entertained unless the presented within 30 days from the date of communication to the applicant of the order against which the application is being made.

12. **Review of orders.**—(I) The State Government, Commissioner or Additional Commissioner, the Licensing Authority, either on its/his own motion or on the application of any party interested review any order passed by itself/himself or by any of its/his predecessors in office and pass such order in reference thereto as it/he thinks fit:

Provided that—

(a) If the commissioner, Additional Commissioner or the Licensing Authority thinks it necessary to review any order which he has not himself passed, he shall obtain the sanction of the State Government or obtain the sanction in writing of the authority to whom he is immediately subordinate.

(b) No order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties concerned to appear and be heard in support of such order.

(c) No order from which an appeal has been made or which is the subject of any revision proceeding shall so long as such appeal or proceeding are pending be reviewed;

(d) No application for the review of such order shall be entertained unless it is made within 90 days from the passing of the order.

(2) An order which has been dealt within appeal or on revision shall not be reviewed by Licensing Authority subordinate to the appellate or revisional authority.

13. **Power of entry, search seizure etc.**—(i) The licensing authority or any other officer authorized by the State Government in this behalf may with such assistance if any, as he thinks fit :—

(a) require the owner, occupier or any other person incharge of any place, premises, vehicle or vessel in which he has reason to believe that any contravention of the provision of this order or the conditions of any licence issued thereunder has been or is being or is about to be committed to produce any book, accounts or other documents showing transactions relating to such contraventions;

(b) enter, inspect or break open and search any place or premises, vehicle or vessels, in which he has reason to believe that any contravention of the provision of this order or the conditions of any licence issued thereunder has been is being or is about to be committed.

(c) seize or cause to be seized the registers, bill books or any documents showing transactions relating to such contraventions and return the same to the person from whom they were seized after taking essential extracts therefrom or copies thereof.

(d) search, seize and remove stocks of scheduled commodities and the animals, vehicles, vessels or other Conveyances used in carrying the said scheduled commodities in contravention of the provisions of this order, or of the conditions of the licence issued thereunder and thereafter take or authorise the taking of all measure necessary for securing the production of stocks of scheduled commodities and the animals, vehicles, vessels or other conveyances so seized in a court and for there safe custody pending such production.

(ii) The provisions, of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No 2,of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be apply to searches and seizures made under this clause.

14. **Exemption** — (1) The provisions of this Order shall not be enforced for the stock of essential commodity of public distribution system held by the Food Corporation of India, Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation and other agencies involved in it..

(2) The State Government may by general or special order, exempt any class of persons from the operation of all or any of the provisions of this order and may at any time suspend or cancel such exemption.

15. **Validity of this order** — This order shall remain in force concurrently with the validity of the central orders issued under No. S.O. 1373 (E) dated 29th August, 2006, No. S.O. 906 (E) dated 02nd April, 2009 for pulses and No. S.O. 823 (E) dated 7th April, 2008, No. S.O. 905 (E) dated 02nd April, 2009 for edible oils, edible oilseeds and rice.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIVEK DHAND, Principal Secretary.

SCHEDULE-I

(Scheduled Commodities)

[See Clause 2 (i)]

1. "Pulses" means Urad, Moong, Arhar, Masur, Peas and Gram whole or split or without husk.
2. rice
3. 'Edible oil" means all edible oil
4. "Oilseeds" means the seeds from which the' edible oil is prepared but does not include coconut.

SCHEDULE-II

[See Clause 5 (a)]

S. No.	Scheduled commodity	Category of city	Dealer (Qtls)	Commission agent (Qtls)	Processor
1.	Pulses	All	1000	1000	No limit
2.	Rice	All	2000	2000	No limit
3.	All edible Oilseeds	All	1000	1000	No limit
4.	All edible oil	All	500	500	No limit

FORM "A"

['See Clause 4 (1)]

Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order 2009,

Application for grant/renewal of licence

Applicant's Name ... ...

Applicant's Profession .. ...

Full residential address .. ...

1. Application for grant/renewal of licence for period .... to .... for the scheduled commodities-

(1) All scheduled commodities

(2) Any one or more than one schedule commodity- Pulses/rice/edible oilseeds/edible oil.

Note:- There shall be only one licence for any one or more than one schedule commodity and separate application will be received in case of change in schedule-1.

2 (a) Applicant's place of business with particulars such as number of premises, mohalla, town or village, Police Station and district...

(b) Full and complete address of places where scheduled commodities are proposed to be stored...

3. Nature of business-

(1) Purchse, sale or storage for sale

(2) Commission Agent

(3) Processor

4. Did the applicant, hold a Mandi licence, If so give licence No/Photo Copy of mandi receipt by enclosed...

6. Quantity of each Scheduled Commodity in the possession of the applicant on the date of application and the places at which the same is stored... ....

I declare that the quantities of Scheduled Commodities specified above are In my possession this day and are held at the places noted above..

I have carefully read the conditions of licence given in form 'B' of the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, '2009 and I shall abide by them. I further declare that

(a) I have not previously applied for such licence in this district.

(b) I applied for such licence in this district for.. .. .on and was/was not granted a licence No.

(c) I hereby apply for renewal of licence No... ... ... dated.. .. .. . .issued to me for the period..... to ....

(Note:-Strike of the clause not applicable)

Signature of the applicant.

Place.. ... ...

Dated.. ... ...

FORM "B"

[See Clause 4 (1)]

Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009

Licence for a dealer

Licence No. ... ...

Subject to the provisions of the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009 Mr./Mrs./M/s .. .. is/are hereby authorised to carry on business in the under mentioned Scheduled Commodities.

(1) All scheduled commodities

(2) Any one or more than one scheduled commodity- Any one or more than one schedule commodity- Pulses/rice/edible oilseeds/edible oil.

Note:- There shall be only one joint licence for all schedule commodity and change in schedule commodity shall assumed as the change in schedule-1 from the date of notification.

1 (A). Licence shall be granted for the following trade to licensee:-

(1) Purchse, sale or storage for sale

(2) Commission Agent

(3) Processor

(Note:-Strike off the clause not applicable)

2. (a) The licensee shall not carry on the business other than the following place:-

Type of business	Place of bussiness
(1) Purchse, sale or storage for sale	
(2) Commission Agent	
(3) Processor	

(b) Scheduled Commodities in which the aforesaid business is to be carried on, shall not be stored at any place other than the places mentioned below :-

Godown/place:-

Mohalla	House No. Bounded by	own/hired	remarks

3. The licensee shall, except when specially exempted by the State Government or by the licensing authority in this behalf maintain a register of daily accounts for each of the scheduled Commodities mentioned in paragraph 1, showing :—

(a) the opening stock on each day;

(b) the quantities received on each day showing the place from where and the source from which received;

(c) the quantities delivered or otherwise removed on each day showing the places of destination.

(d) the closing stock on each day.

4. The licensee shall complete his accounts for each day on the day to which they relate, unless prevented by reasonable cause, the burden of proving which, shall be upon him.

5. Licensee shall separately show the stocks of produce by his personal cultivation in the daily account, if such produce is stored in his business premises.

6. The licensee shall, except when specially exempted by the State Government or by an officer authorised in writing by the State Government in this behalf, submit to the licensing authority concerned or to any other authority specified in writing by the licensing authority, a true return in Form "C" of the Stocks receipts and deliveries, etc. of each of the scheduled commodities every month so as to reach him within seven days after the close of the month.

7. The licensee shall not contravene the, provisions of the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009 or any other order relating to scheduled commodities issued under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) or the rules framed thereunder or any other law relating to scheduled commodities for the time being in force.

8. The licensee —

(i) shall not enter into any transaction involving purchase, sale, or storage for sale of scheduled commodities in a speculative manner and prejudicial to the maintenance of easy availability of supplies of scheduled commodities in the market.

(ii) shall not withhold from sale Scheduled commodities ordinarily kept for sale.

9. The licensee shall exhibit at the entrance or some other prominent place of his business premises, the price list of scheduled commodities held by him for sale. Such price list shall be legibly written in Hindi. He shall indicate separately the prices and opening stocks on each day of different varieties of scheduled commodities.

10. Every licensee shall take adequate measures to' ensure the Scheduled commodities stored by him are maintained in proper condition and that damage to scheduled commodities due to ground moisture rain, insects, rodents, birds, fire and such other causes are avoided. Suitable dunnage shall be used to avoid damage from ground moisture and scheduled commodities shall be fumigated with approved chemicals. The licensee shall also ensure that fertilizers, insecticides and poisonous chemicals likely to contaminate scheduled commodities are not stored along with scheduled commodities in the same godowns or in its immediate vicinity.

11. The licensee shall issue to every customer a correct receipt or invoice giving his own name, address and licence number, the name the address and licence no. (if any) of the customer, the date of transaction the quantity sold, the price per quintal and the total amount charge and shall keep a duplicate of the same to be available for inspection on demand by the licensing authority or any officer authorised in writing by him in this behalf. A copy of sale receipt shall be kept in the vehicle used for its transportation and shall be produced before inspecting officer by the driver or representative of seller/buyer.

12. The licensee shall furnish correctly such information relating to the business as may be demanded from him and shall carry out such instructions consistent with the provisions of this order as may from time to time be given by the licensing authority or. any other officer authorised by him in writing in this behalf.

13. The licensee shall give all facilities at all reasonable times to the Enforcement Officer or the licensing authority or any officer authorised in writing by him or the State Government for the inspection of his books and account and for taking of samples of scheduled commodities for examination, at any shop, godown or other place used by him for the storage, sale or purchase or manufacture or production of scheduled commodities.

14. The licensee shall comply with any direction given to him by the Licencing Authority in regard to purchase, sale and storage for sale of scheduled commodities and in regard to the language in which the registers, returns, receipts or invoices shall be written and the authentication and maintenance of the registers.

15. The licensee shall in a case where he functions in a regulate mandi abide by such instructions relating to his business as are given by the Mandi authority having jurisdiction.

16. The licensee shall not permit his own godown or business premises to be used by any other person.

18. If and when there is any change in the ownership, partnership, or constitution of his firm, the licensee shall give a written intimation to the licensing authority within 30 days of the change. On receipt of such intimation or *suo-motu* after making such enquiry as may be deemed necessary, it shall be lawful for the licensing authority to make necessary amendments in the licence.

19. The licence shall be attached to an application for renewal.

20. The licence shall be valid upto31st day of December of the year.........

....

Licensing Authority

Place ....

Dated.........................

FORM 'C'

(For use by a licensee see condition 6 of Form 'B')

Return of stocks, receipt and sales of scheduled commodities for the month ending...................

Name ....

Number of Licence ....

Address...........................

Particulars of godowns where stock held .... Variety of the Scheduled Commodities :

(1)...................................

(2)...................................

(3)...................................

1. Stock at the beginning of the month -............................

2. Quantity purchased during the month and the source of supply ....

(a) From within the district ....

(b) If from outside the district give below the names of the district and quantity against each district :-

(1)..................................

(2)..................................

(3)..................................

(c) If from outside the State, give below the names of States and quantity against each State :-

(1) ....

(2) ....

(3) ....

Total............................

Within the District	Outside the district but within the State	Outside the State	Total
Quantity sold- (a) Quantity sold to wholesaler. (b) Quantity sold to processor. (c) Quantity sold to other. Total quantity			

4. Stock at the end of the month-

Total......................

Place ....

Dated..........................

Signature of Licensee

Licence No. ....

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.